


प्रेस नोट

स्वाट / सर्विलांस टीम द्वारा गुजरात से गुमशुदा युवक को सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया गया।

दिनांक 12.04.2021 को गुजरात पुलिस द्वारा जनपद बिजनौर पुलिस को सूचना दी गयी कि 01 व्यक्ति जिसका नाम दिव्येश सावलिया उम्र करीब 26 वर्ष पुत्र रणछोड भाई निवासी कृष्णापारा मोटा हदमटिया तहसील विसवादर जनपद जूनागढ़ सूरत गुजरात जो दिनांक 29.03.2021 से घर से लापता है जिसके सम्बन्ध में उसके परिजनों द्वारा थाना सल्थाना गुजरात पर गुमशुदगी नं 53/21 दिनांक 30.03.2021 को अंकित करायी थी। गुजरात पुलिस द्वारा उक्त गुमशुदा का जनपद बिजनौर में होने के संदेह पर जनपद बिजनौर पुलिस से सम्पर्क किया गया।

उक्त सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा स्वाट / सर्विलांस टीम को दिव्येश उपरोक्त की सकुशल बरामदगी हेतु निर्देशित किया गया। जिसके क्रम में स्वाट / सर्विलांस टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए दिव्येश उपरोक्त को दिनांक 12.04.2021 को ही थाना नूरपुर क्षेत्रान्तर्गत से सकुशल बरामद कर गुजरात पुलिस व उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया।



प्रेस नोट:-

थाना नगीना पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तगण को भैस का 10 किलोग्राम अवैध मीट व माँस काटने के उपकरण सहित गिरफ्तारी 02 नफर अभियुक्तगण

पुलिस अधीक्षक बिजनौर के आदेशानुसार अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे चौकिंग अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी नगीना कुशल पर्यवेक्षण मे दिनांक 13.04.2021 को समय 06.45 बजे खबिर की सूचना पर थाना नगीना पुलिस द्वारा ग्राम मझेडा शकरू मे शकील पुत्र नन्हे निवासी ग्राम मझेडा शकरू थाना नगीना जनपद बिजनौर के घर मे चल रहे अवैध कटान पर छापा मारकर मौके से भैस का 10 किलोग्राम अवैध मीट व माँस काटने के उपकरण व कुल छोटे बडे 09 जिन्दा पशु भैस व कटिया व कटडे बरामद किये गये तथा मौके से अभियुक्तगण 1.शकील पुत्र नन्हे निं० ग्राम मझेडा शकरू थाना नगीना जनपद बिजनौर, 2.फिरोज पुत्र शकील निवासी ग्राम मझेडा शकरू थाना नगीना जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त मुजीबुर्हमान पुत्र अजीजुर्हमान नि० ग्राम मझेडा शकरू थाना नगीना जिला बिजनौर भागने मे सफल रहा । उक्त सम्बन्ध मे थाना नगीना पर मु0अ0स0 131 / 2021 धारा 269 / 429 भादवि व 11 (घ) पशु क्रुरता अधि० पंजीकृत किया गया ।

अभियुक्तगणों से बरामदगी का विवरण:-

1.भैस का 10 किलोग्राम अवैध मीट

2.दो अदद दराते , एक कुल्हाडी, लकड़ी के गुटके, एक इलैक्ट्रानिक तराजू , एक काँटे वाला तराजू , दो किला के दो बाटं एक किलो का एक बाँट, 500 ग्राम का एक बांट, दो सौ ग्राम का एक बाँट, 2 रस्सीया व काली पन्नीया

3.कुल छोटे बडे 09 जिन्दा पशु भैस व कटिया व कटडे

गिरफ्तारी अभियुक्तगण:-

1.शकील पुत्र नन्हे निं० ग्राम मझेडा शकरू थाना नगीना जनपद बिजनौर,

2.फिरोज पुत्र शकील निवासी ग्राम मझेडा शकरू थाना नगीना जनपद बिजनौर



फरार अभियुक्त का नाम व पता:-

3.मुजीबुरहमान पुत्र अजीजुरहमान निं० ग्राम मंडोडा शकरू थाना नगीना जिला बिजनौर

गिरफ्तारी टीम :-

1.उप निं० श्री अजय कुमार

2.हैड का० 147 सुरजीत सिंह

3.का० 1526 सतनाम सिंह

थाना स्योहारा:- आज दिनांक 13.04.2021 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा अभियुक्त शाहनवाज पुत्र मुन्ने खां निवासी कस्बा/थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को एक अवैध तमंचे सहित गिरफ्तार कर मु०अ०सं० 214/21 धारा 3/25 आर्स एक्ट मे पंजीकृत कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।



थाना स्योहारा:- आज दिनांक 13.04.2021 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तगण 1—रामअवतार पुत्र जीतमत 2— बेगराज पुत्र हरीश चन्द्र निवासीगण ग्राम भगवानपुर नैनी थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को मु०अ०सं० 215/21 धारा 323,308,504 भादवि मे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।



थाना स्योहारा:- आज दिनांक 13.04.2021 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तगण 1— अर्जुन सिंह पुत्र जग्गू सिंह निवासी ग्राम कुरी बांगड थाना स्योहारा जनपद बिजनौर 2— राहुल पुत्र सो सिंह निवासी भगवान पुरैनी थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी मे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।



थाना हल्दौर:- आज दिनांक 13.04.2021 को थाना हल्दौर पुलिस द्वारा अभियुक्त बिटटू पुत्र हरि सिंह निवासी रसूलपुर थाना हल्दौर को 48 पवे देशी शराब फाइटर मार्का सहित गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 143 / 21 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।



दिनांक 13.04.2021



आज दिनांक 13.04.2021 को प्रभारी एण्टी रोमिंयों टीम बिजनौर द्वारा बस स्टैण्ड/बाजर/भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाकर मंचलों पर शिकंजा कसा गया व उपरोक्त सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन के लिये चलाये जा रहे विशेष अभियान "मिशन शक्ति" के अन्तर्गत छात्राओं/महिलाओं को जागरूक किया तथा हैल्पलाईन नंबर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 व जनपद के सभी थानों पर खुले महिला हेल्प डेस्क के महत्व के सम्बन्ध में जागरूक किया।



